

निः०- 3481/2018/ रीवा/ भूमि

श्री मान् राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला  
रीवा म० प्र०



- 1-बालाप्रसाद तनय श्री रुद्र प्रसाद
  - 2-रुकमणि देवी पत्नी स्व०श्री शिवधार गौतम
  - 3-उपेन्द्र गौतम पिता स्व०श्री शिवधार गौतम
  - 4-राजेश गौतम पिता स्व०श्री शिवधार गौतम
  - 5-रावेन्द्र गौतम पिता स्व०श्री शिवधार गौतम
  - 6- महेन्द्र गौतम पिता स्व०श्री शिवधार गौतम
  - 7-बेबा पुष्पा गौतम पत्नी श्री स्व०रोहिणी प्रसाद गौतम
  - 8- पुष्पेन्द्र गौतम पिता श्री स्व० रोहिणी प्रसाद गौतम
  - 9-भूषेन्द्र गौतम पिता श्री स्व० रोहिणी प्रसाद गौतम
- सभी निवासी ग्राम टीकर तहसील हुजूर जिला रीवा  
- -- अपीलान्ट गण/आवेदक गण/निगरानी कर्ता  
बनाम

अमर प्रसाद तनय श्री रामजियावन व्रा०, निवासी ग्राम  
टीकर तहसील हुजूर जिला रीवा म० प्र०  
-----रेस्पा०/अनावेदक/ गैर निगरानी कर्ता

06.6.18

निगरानी विरुद्ध आदेश श्री अपर  
आयुक्त रीवा संभाग रीवा म० प्र० रा०  
अपील प्रकरण क० 1084/ अपील  
/2017-2018 आदेश दिनांक  
06/04/2018 मुताविक धारा 50 म०  
प्र० भू० रा० सहिता सन 1959 इ०

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है।

- 1-यह कि अधी० व्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया  
के विरुद्ध है।
- 2- यहकि बादग्रस्त भूमि आवेदक गण की पैत्रिक है ने  
अनावेदक द्वारा गलत तरीके दर्ज इन्द्राज के सुधार हेतु  
आवेदन पत्र दिया था तथा बिबादित भूमि के पुराने नम्बर  
2816 रकवा 0.72 ए० के मालिक व भूमिस्वामी  
रुद्रप्रसाद तनय श्री स्वयम्भर राम दर्ज थे जो आवेदक गण  
के मूरिसान हैं का इन्द्राज पूर्व से है किन्तु अनावेदक  
ने बिना हक व अधिकार एवं बिना हस्तान्तरण के  
बिबादित भूमि के नये नम्बर 2749 रकवा 0.291 का  
इन्द्राज गलत तरीके से दर्ज करवाने की जानकारी होने  
पर उसकी रिपोर्ट पुलिस थाना में की; एवं आवेदन पत्र के  
आधार पर पटवारी हल्का का प्रतिबेदन बुलाकर तहसीलदार  
ने पटवारी प्रतिबेदन के आधार पर प्रकरण दर्ज किया था  
आवेदन पत्र के आधार पर नहीं, जिससे प्रकरण धारा  
115 म० प्र० भू० रा० सहिता के तहत माना जावेगा,  
जिसके लिये कोई म्याद नहीं थी जैसा सिद्धान्त 1989  
ऐ० निः० पेज 339 प्रयागदान बनाम शिवराज सिंह में तय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश न्यायालय  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक नं. 3481/द.रा./2018 जिला- रीवा

बाला प्रसाद विरुद्ध अमर उमाई

| (1) | (2) | (3) |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

18-12-18

- आवेदक की ओर से श्री. दिलोह युवा एल अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमिश्नर/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 1084/न्यायालय/2017-2018 में पारित आदेश दिनांक 06-4-2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 06-06-2018 प्रस्तुत की गयी है।
- म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।
- इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो।

✓  
सदस्य

AA  
MC